कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

क्रमांक– 809 / दो–11–1 / 2022 बिलासपुर, दिनांक 09 **दिसम्बर, 2024**

इस स्थापना के कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक–2308 / चयन समिति / 2023, बिलासपुर दिनांक 28–06–2023 के अंतर्गत सहायक ग्रेड–तीन में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन समति के अनुशंसा के आधार पर अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग) वर्ग के प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की मेडिकल बोर्ड से सत्यापन उपरांत **सहायक ग्रेड तीन** के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

स.क्रं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता / पति का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4	5
1	श्री रूपेन्द्र कुमार पोर्ते पिता श्री फूलसिंह पोर्ते	ग्राम+पो.+तह.–पोड़ी–उपरोड़ा, थाना–बांगो, जिला–कोरबा (छ0ग0) 495448	अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग)	सहायक ग्रेड–तीन

नियुक्ति की शर्तें :–

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा।
2. चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
5. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित / तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची / प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो–दो स्वप्रमाणित छायांप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्यभार ग्रहण हेतु अभ्यर्थी को 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को **दिनांक 19–12–2024** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
9. यदि चयन / नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी / कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति / सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ0ग0

/home/ubuntu/D Drive/Deepak Dewangan/Adesh/Adesh New.doc

पृष्ठांकन क्रमांक–2165/दो–11–1/2022 बिलासपुर, दिनांक 04 **दिसम्बर, 2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक–1931/तीन–18–29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12–03–2013 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सहायक प्रोग्रामर को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
3. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री रूपेन्द्र कुमार पोर्ते पिता श्री फूलसिंह पोतग्राम+पो.+तह.–पोड़ी–उपरोड़ा, थाना–बांगो, जिला–कोरबा (छ0ग0) 495448 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

/home/ubuntu/D Drive/Deepak Dewangan/Adesh/Adesh New.doc